



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 4 दिसम्बर, 2018

अग्रहायण 13, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

संख्या 912 पी/छ-पु0-6-18-300(9)-2015

लखनऊ, 4 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना

संशोधन

प0 आ0-391

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल एतद्वारा, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (अधिनियम संख्या 34 सन् 2008) के अधीन अनुसूचित अपराधों के अन्वेषण के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) के उपबन्धों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने हेतु एतद्धीन नीचे अनुसूची के स्तम्भ (2) में तत्समान प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिये उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट स्थान को इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पुलिस थाना के रूप में निर्दिष्ट एवं घोषित करते हैं, में एतद्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

अनुसूची-संशोधन

(1)	(2)
पूर्ववर्ती अधिसूचना	संशोधन के पश्चात्
पुलिस थाना का नाम	पुलिस थाना का नाम
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, पुलिस थाना, उत्तर प्रदेश, मकान सं0 ए/47, विशाल खण्ड-4, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश), पिन-226010	राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, पुलिस थाना, उत्तर प्रदेश, सेक्टर 7/26, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ (उत्तर प्रदेश), पिन-226002

पुलिस थाना की अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र	पुलिस थाना की अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र
सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 912 P/VI-pu-6-18-300(9)-2015, dated December 4, 2018:

No. 912P/VI-pu-6-18-300(9)-2015

Dated Lucknow, December 4, 2018

IN exercise of the power conferred by clause (s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act no. 2 of 1974), and all other power enabling him in this behalf, the Governor, hereby directs and declares with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the place specified in Column (1) of the Schedule below hereunder as "Police Station" for the areas specified in the corresponding entry in Column (2) thereof, in respect of the investigation of Scheduled offences under the National Investigation Agency Act, 2008 (Act no. 34 of 2008) for exercising the powers under the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974), is hereby amended as below.

SCHEDULE - AMENDMENT

(1)	(2)
Prior Notification	After Amendment
Name of Police Station	Name of Police Station
National Investigation Agency, Police Station, Uttar Pradesh at House no. A/47, Vishal Khand-4, Gomti Nagar, Lucknow (U.P.), Pin-226010	National Investigation Agency, Police Station, Uttar Pradesh at Sector 7/26, Gomti Nagar Vistar, Lucknow (U.P.), Pin-226002
Areas falling within the respective Jurisdiction of the Police Station	Areas falling within the respective Jurisdiction of the Police Station
Whole State of Uttar Pradesh	Whole State of Uttar Pradesh

By order,
ARVIND KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 462 राजपत्र (हि०)-2019-(1185)-599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 11 सा० गृह (पुलिस)-2019-(1186)-133 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।